तोमर बंधुओं को 18 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर : सूदखोरी, गुंडागर्दी मामले में फरार चल रहे तोमर बंधुओं के खिलाफ रायपुर पुलिस सोमवार को फिर से कोर्ट पहुंची। पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने तोमर बंधुओं के खिलाफ उद्घोषणा जारी करते हुए 18 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश दिया है। पुलिस के मुताबिक जिला कोर्ट ने रूबी उर्फ वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर को 18 अगस्त तक कोर्ट में उपस्थित होने को अंतिम मौका दिया है। आरोपितों की सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। आरोपितों के घर पर कोर्ट का नोटिस पुलिस अब तोमर बंधुओं के घर पर कोर्ट का नोटिस चस्पा करेगी।